

समाधान

व्यक्ति और समाज एक दुसरे के पूरक होते हैं और नियंत्रक भी। व्यक्तियों से ही समाज का अस्तित्व होता है। बिना व्यक्तियों के जुड़े समाज बनता ही नहीं। समाज के बिना भी व्यक्ति का जीना कठिन हो जाता है क्योंकि सुचारु जीवन के लिये जिस व्यवस्था की आवश्यकता होती है वह समाज ही दे सकता है, कोई और नहीं।

व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं 1. वे जो स्वतः ठीक ठीक आचरण करते हैं और दूसरों को ठीक ठीक आचरण करने में सहायता करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ही सामाजिक कहा जाता है 2. दूसरे वे होते हैं जो लगातार दूसरों का शोषण भी करते रहते हैं और अत्याचार भी। ऐसे व्यक्तियों को ही समाज विरोधी कहा जाता है। कुछ लोग इन दोनों ही श्रेणियों में नहीं होते। ये न तो स्वयं अपराध करने के अभ्यस्त होते हैं न ही समाज की मदद करते हैं। कभी कभार कोई साधारण सा अपराध कर लेनेवाला दूसरों की सहायता कर देने वाले व्यक्तियों को असामाजिक माना जाता है। इन्हें अच्छा व्यक्ति न मानते हुये भी समाज विरोधी न होने के कारण समाज का ही अंग माना जाता है। यदि हम भारत स्थित समाज का आकलन करें तो यहाँ की कुल आबादी में एक दो प्रतिशत ही समाज विरोधी तत्व मिलते हैं। शेष समाज में कुछ लोग सामाजिक प्रकृति के होते हैं तो अधिकांश असामाजिक प्रकृति के होते हैं ये दोनों ही समाज के अंग। विश्व के अन्य देशों में परिस्थिति अनुसार यह प्रतिशत बदलता रहता है।

समाज विरोधी व्यक्तियों से सामाजिक व्यक्तियों की सुरक्षा की चिन्ता समाज ही करता है। समाज द्वारा सुरक्षा और न्याय के लिये एक विशेष सेल बनाया जाता है जिसे सरकार कहते हैं। सरकार का यही दायित्व होता है कि वह ऐसी सुरक्षा और न्याय की गारंटी प्रदान करे। यदि हम भारत में सामाजिक व्यक्ति की स्थिति का आंकलन करें तो उसकी भौतिक सुख सुविधाओं में काफी वृद्धि हुई है। सड़क, पानी, बिजली शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में पर्याप्त सुधार हुआ है किन्तु सुरक्षा और न्याय के मामले में सामाजिक व्यक्ति बेहद कमजोर हुआ है। इन मामलों में भारतीय शासन व्यवस्था पूरी तरह असफल हो गई है। भारत में समाजविरोधी तत्व मजबूत और सामाजिक व्यक्ति संकट ग्रस्त हैं। यदि हम पूरे विश्व का आंकलन करें तो पूरे विश्व की हालत भारत जैसी तो नहीं है किन्तु पूरे विश्व में भी कुछ अंशों में भारत जैसी हालत बन रही है। पूरी दुनिया में भौतिक उन्नति हो रही है किन्तु सुरक्षा और न्याय कमजोर हो रहे हैं। आम लोगों का चरित्र गिर रहा है। आतंकवाद बढ़ रहा है सामाजिक व्यक्तियों का मनोबल टूट रहा है और समाज विरोधियों का बढ़ रहा है। राज्य व्यवस्था असफल होती जा रही है। ऐसी स्थिति किसी क्षेत्र विशेष की होती तो कोई बात नहीं होती किन्तु यदि पूरे विश्व में ऐसा है तो संकट राज्य का न होकर समाज का मानने की आवश्यकता है।

स्पष्ट है कि यह सामाजिक सोच का विषय है। समाज के समक्ष संकट कितना गहरा है उसके लक्षण क्या हैं तथा उसकी पहचान क्या है यह गंभीर शोध का विषय है। ये लक्षण नौ माने जाते हैं।

1. जब निश्कर्ष निकालने में विचार मंथन की जगह प्रचार अधिक प्रभावकारी हो जावें:-निश्कर्ष निकालने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है विचार और विचारों को ठीक दिशा देने का आधार है विचार मंथन। बहुत प्रचीन काल में सामाजिक विषयों पर भी निश्कर्ष निकालने में विचार मंथन की अग्रणी भूमिका रही है। नितान्त पारिवारिक या व्यक्तिगत मामलों में भी रही है। आज भी इस प्रणाली की उपयोगिता अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव में देखी जा सकती है। किन्तु सम्पूर्ण विश्व में निश्कर्ष निकालने में विचार मंथन की प्रक्रिया समाप्त हो रही है और विचारों का स्थान भावनाएँ ले रही है। विचार निश्कर्ष निकालता है मंथन के माध्यम से और भावनाएँ निश्कर्ष निकालती हैं प्रचार से प्रभावित होकर। पूरे विश्व में तेजी से विचार मंथन का स्थान विचार प्रचार ने ग्रहण कर लिया है। पिछले दो-तीन हजार सालों से यह बीमारी शुरू हुई और अब तो इसने महामारी का रूप धारण कर लिया है। मृत महापुरुषों के विचार बिना स्वयं मंथन किये ही यथावत समाज तक पहुँचाने की धातक परंपरा निरंतर फल फूल रही है। नित नये नये संगठन बन रहे हैं। आधुनिक भारतीय महापुरुषों के रूप में जिन स्वामी दयानन्द, महात्मा गांधी या श्री राम जी शर्मा ने अपना सम्पूर्ण निश्कर्ष विचार मंथन प्रक्रिया से निकाला था उन्हीं के शिष्यों ने विचार मंथन की प्रक्रिया को त्याग कर सिर्फ विचार प्रचार को ही अपना उद्देश्य मान लिया है। ये लोग नहीं सोचते कि निश्कर्ष निकालने और उन्हें क्रियान्वित करने में देश काल परिस्थिति की भी भूमिका हुआ करती है। यदि वे महापुरुष जीवित रहते तो देश काल परिस्थिति अनुसार अपने निश्कर्ष की समीक्षा भी करते और संशोधन भी किन्तु उनके जाते ही हम विचार मंथन को रोककर सिर्फ प्रचार में लग जाते हैं। विदेश आधारित संगठनों में इस्लाम ने सदा के लिये इस परंपरा पर रोक ही लगा दी है, इसाइयत में भी यह परंपरा आंशिक ही है। एकमात्र मार्क्सवादी ही ऐसे हैं जो इस परंपरा को जीवित रखे हैं यद्यपि उनमें भी यह परंपरा आन्तरिक संगठन तक ही सीमित है, सामाजिक विषयों पर नहीं।

इस धातक परंपरा का बहुत अधिक नुकसान समाज व्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है। नये नये गंभीर विचार सामने नहीं आ पा रहे। प्रचार माध्यम से प्रभावित करने के लाभ से सब लोग आकर्षित हैं। प्रचार के नये नये तरीके खोजे जा रहे हैं। असत्य भी प्रचार के माध्यम से सत्य के समान स्थापित होने लगे हैं। नये नये संगठन बनने की होड़ मची हुई है। प्रचार दौड़ में चरित्र की कोई आवश्यकता ही नहीं समझी जा रही है। अंधी दौड़ में अधिक से अधिक लोगों को आंख पर पट्टी बांधने हेतु प्रेरित करने की होड़ मची है जबकि उन्हीं महापुरुषों ने अपने जीवन काल में समाज को लगातार पट्टी न बांधने की शिक्षा दी थी।

2. संचालक और संचालित के बीच बढ़ती दूरी- समाज की ठीक ठीक व्यवस्था के लिये प्रत्येक व्यक्ति में भावना और बुद्धि का समन्वय आवश्यक होता है। यदि बुद्धि की मात्रा अधिक हो जावे तो वह धूर्तता का मार्ग पकड़ लेती है और यदि भावना बहुत हो जावे तो मूर्खता में बदल जाती है। इन दोनों के समन्वय का अभाव हो गया है। यही कारण है कि समाज में संचालक और संचालित के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। इन्हे अंग्रेजी में मोटीवेटर और मोटीवेटेड के रूप में भी

कहा जाता है। यह दूरी लगातार राजनैतिक क्षेत्र में भी बढ़ रही है और धार्मिक क्षेत्र में भी। हर संचालक पूरा पूरा प्रयत्न कर रहा है कि उस पर विश्वास कर रहा संचालित लगातार भावना प्रधान बना रहे क्योंकि बुद्धि या विवेक का विस्तार इस दूरी को कम कर सकता है जिसका दुष्परिणाम होगा संचालक की स्वार्थ पूर्ति में कमी। ये सभी संचालक संचालित को कर्तव्यों की प्रेरणा देते हैं और स्वयं अधिकारों की चिन्ता करते रहते हैं। राजनेताओं में तो यह स्वभाव ही बन गया है। प्रत्येक राजनेता सम्पूर्ण समाज को सिर्फ कर्तव्य की ही प्रेरणा देता रहता है किन्तु स्वयं हर क्षण अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करता रहता है। इसी तरह प्रत्येक संचालक अपने अधीन संचालित को हर पल दान और त्याग की प्रेरणा देता है किन्तु संचालक स्वयं हर पल संग्रह में लगा रहता है। दान और संग्रह का यह खेल धार्मिक क्षेत्र में भी लगातार चलता रहता है और राजनैतिक क्षेत्र में भी। संचालित द्वारा दान प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिये आजकल नये नये तरीके भी निकाले जा रहे हैं। राजनेताओं ने जन कल्याण के नाम पर नागरिकों के अधिकतम धन और अधिकारों को अपने पास समेट लिया है। दूसरी ओर धार्मिक गुरुओं ने भी द्रष्ट या ईश्वर के नाम पर अपनी आर्थिक शक्ति बहुत मजबूत कर ली है। संचालक और संचालित के बीच एक संबंध और बन रहा है कि हर संचालक संचालित को ज्ञान तो दे नहीं रहा सिर्फ सुविधाएँ दे रहा है। ज्ञान व्यक्ति को आत्म निर्भर बनाता है और सुविधा बनाती है आश्रित। राजनेता नागरिकों को स्वावलम्बी बनने में सहायक न होकर उसे ऐसी सुविधाएँ दे रहा है कि वह हमेशा राज्य का मुख्यापेक्षी बना रहे। धार्मिक गुरु भी अपने शिष्यों को कर्मकाण्ड तक ही सीमित रखना चाहते हैं। यही कारण है कि हर गुरु या राजनेता समाज में विचार मंथन को निरुत्साहित करके विचार प्रचार को बढ़ावा देता है तथा विवेक जागरण के स्थान पर लगातार भावनाओं के विस्तार के प्रयत्न भी करता रहता है क्योंकि वह भली भाँति समझ चुका है कि मंथन रहित प्रचार ही उसके स्वयं के विस्तार का टानिक है।

3. राजनीति और समाज सेवा का व्यवसायीकरण- दुनिया में कहीं भी और कभी भी न राजनीति को व्यवसाय माना गया न समाज सेवा को। भारत में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। प्राचीन समय में व्यवसायी यदि चाहता था तो अपना अतिरिक्त धन धर्मशाला, कुंआ, मुफ्त भोजन या दानपुण्य के रूप में समाज सेवा में निस्वार्थ खर्च किया करता था। राजा भी यदि न्याय और सुरक्षा के बाद कुछ करना चाहता था तो वह समाज सेवा में अपना निस्वार्थ योगदान किया करता था। तीनों का बिल्कुल पृथक पृथक कार्य क्षेत्र था। कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता था। समाज सेवा पूरी तरह निस्वार्थ होने से उसे राजनीति या व्यवसाय की अपेक्षा अधिक सम्मान प्राप्त था। जब अंग्रेजों ने भारतीय व्यवस्था में प्रवेश किया तो उन्होंने व्यवसाय के माध्यम से राज्य पर कब्जा किया। इसलिये राज्य व्यवस्था और व्यापार को एक साथ जोड़कर पूँजीवाद पुरु हुआ। पूँजीवाद में राज्य व्यवस्था व्यवसाय के अन्तर्गत हो गई। उसके बाद कुछ देशों में साम्यवाद आया तो उसने तानाशाही शासन की स्थापना की। अर्थात् सम्पूर्ण व्यवसाय भी राज्य व्यवस्था के अधीन हो गया। चूँकि व्यवसाय और राज्य व्यवस्था एक साथ जुड़ गये थे इसलिये

समाज सेवा का भी राजनीति करण हुआ। फिर भी समाज सेवा का व्यवसायीकरण नहीं हुआ था। पिछले कुछ वर्षों से समाज सेवा का भी व्यवसायीकरण पुरु हो गया । चाहे एन. जी. ओ. के नाम से हो या किसी और नाम से किन्तु अनेक समाज सेवी संस्थाएँ समाज सेवा को व्यापार समझ भी रही हैं और कर भी रही हैं । अब तो पता ही नहीं चलता कि कौन सामाजिक कार्यकर्ता गुप्त रूप से कहाँ से और कितनी मात्रा में समाज सेवा के नाम पर धन प्राप्त कर रहा है। वह उस धन में से बचा भी रहा है और समाज सेवक भी बनकर धूम रहा है। कई सन्यासी का रूप धरकर इस व्यवसाय में लिप्त है। समाज सेवा का व्यवसायीकरण भी एक गंभीर चिन्ता का विषय है।

4. भौतिक पहचान का संकट- व्यवस्था को ठीक से चलने में कुछ निश्चित समूहों की भौतिक पहचान की भी व्यवस्था रही हैं। सम्पूर्ण विश्व में कई रूपों में यह व्यवस्था है जो भारत में भी रही है। पुलिस या वकील की ड्रेस उसका एक उदाहरण है। प्राचीन समय में गुण कर्म स्वभाव अनुसार वर्ण व्यवस्था बनाकर यज्ञोपवीत के विभिन्न रूपों में यह पहचान बनाई गई थी । सन्यासियों के लिये भी एक विशेष वेशभूसा का प्रावधान था । विवाहित अविवाहित महिलाओं के लिये कुछ भिन्न पहचान थी। यहाँ तक कि समाज वहिष्कृत लोगों की भी अलग पहचान बनी हुई थी।

कुछ स्वार्थी तत्वों ने कर्मणा वर्ण जाति व्यवस्था को जन्मना किया। यही से व्यवस्था छिन्न भिन्न होनी पुरु हुई । इस परिवर्तन का दुःप्रभाव स्वाभाविक था । कुछ सन्तों ने इसे ठीक करने का प्रयास पुरु किया किन्तु कुछ राजनीतिक स्वार्थ वालों ने इसदूषित व्यवस्था का लाभ उठाने के उद्देश्य से इस सुधार के प्रयत्न को विफल कर दिया। टूटती हुई जातीय पहचान जहाँ और टूटनी चाहिये थी वहाँ तो मजबूत होने लगी और जहाँ मजबूत होनी चाहिये थी वहाँ टूटनी पुरु हो गई । सम्पूर्ण भारत में पुलिस विभाग की एक निश्चित पहचान बनी हुई है। खाखी वर्दी पर एकनिश्चित प्रकार का बेल्ट और कंधों पर निश्चित पहचान चिन्ह । सम्पूर्ण समाज में सन्यासी की एक अलग पहचान है । उनके वस्त्रों का रंग , उनके बाल या अन्य रहन सहन दूर से ही उनकी भौतिक पहचान करा देती है । दस बीस वर्षों पूर्व तक राजनैतिक प्रतिष्ठा की प्रतीक खादी बनी हुई थी । आज भी कुछ मात्रा में खादी का सम्मान बचा हुआ है । कल्पना करिये कि नक्सलवादी भी गुप्त रूप से पुलिस के समान ही ड्रेस और पहचान चिन्ह का उपयोग करने लगे या रावण भी सीताहरण के लिये साधू वेश का उपयोग करके अपना उद्देश्य पुरा कर ले तब व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा ? हम आज की स्थिति की समीक्षा करें तो आतंकवादी खुले आम पुलिस ड्रेस का उपयोग करने लगे हैं । न्यायालय में एक विशेष प्रकार की पहचान ड्रेस पहन कर ही वकील आतंकवादियों की कानूनी सहायता कर सकते हैं किन्तु आज तो ऐसे आतंकवादियों की सहायता करने वालों को काला कोट भी नहीं पहनना पड़ता । उनके लिये किसी मानवाधिकार युनिट का बोर्ड ही ऐसे आतंकवादियों की सामाजिक से लेकर कानूनी मदद के लिये पर्याप्त है । यदि ऐसा बोर्ड अंग्रेजी में हो तो उन्हें विदेशों से आर्थिक सहायता मिलने में आसानी होती है और समाज में रोब जमाने में भी सुविधा होती है । सन्यासी की पहचान भी

कठिनाई पैदा कर रही है। बड़े बड़े नामी सन्यासी खुले आम चुनाव लड़ने लगे हैं। कुछ सन्यासी या सन्यासिनिया तो अपनी भौतिक या राजनैतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिये सन्यासी की पोशाक को सर्वाधिक उपयुक्त मानने लगे हैं। खादी का हाल तो आप देख ही रहे हैं। उसकी तो विश्वसनीयता अब समाप्त ही हो गई है। जैन समाज में तो सन्यास विरुद्ध आचरण पर कुछ रोक है भी अन्यथा अन्य सभी सामाजिक राजनैतिक पदों पर भौतिक पहचान लगातार खतरे में पड़ रही है। कोई पहचान समाप्त होना बड़ा खतरा नहीं। बड़ा खतरा यह है कि स्थापित पहचान में नकली धूर्त प्रवेश करके लाभ उठा ले और कोई कानून या सामाजिक व्यवस्था उसे रोकने में सफल न हो पावे। खादी तो अपनी पहचान खो देने के कारण कोई प्रभाव नहीं डाल रही किन्तु गुरुआ वस्त्र मानवधिकार संगठनों के बोर्ड या पुलिस ड्रेस तो समाज को धोखा देने में आज भी भूमिका अदा कर ही रही है। पहचान का यह संकट सम्पूर्ण विश्व में लगातार बढ़ रहा है और खतरनाक बिन्दु तक पहुँच रहा है।

5. समाज का टूटकर वर्ग में बदलना— समाज की अनेक परिभाषाएँ प्रचलित हैं उनमें से एक उपयुक्त परिभाषा यह है। स्वयं विकसित दीर्घ कालिक नियम पालन से प्रतिबद्ध व्यक्तियों का समूह। इस परिभाषा अनुसार समाज विरोधी व्यक्ति समाज का अंग नहीं माना जा सकता। समाज की मूल इकाई है व्यक्ति और व्यवस्था की पहली इकाई परिवार दूसरी गांव या वार्ड तीसरी देश चौथी विश्व हो सकती है। गांव और देश के बीच की इकाइयों को मान भी सकते हैं और नहीं भी क्योंकि ये सर्वदा चलायमान होती हैं। समाज स्वयं में अमूर्त इकाई है। परिवार से लेकर विश्व तक की प्रत्येक इकाई अपने से उपर की इकाई की पूरक तथा नीचे वाली इकाई की संरक्षक होती है। इसका अर्थ हुआ कि हर इकाई अपने से उपर की इकाई को शक्ति देती है और नीचे की इकाई को देती है सुरक्षा की गारंटी।

अपनी इकाईयों को निश्चित सुरक्षा और न्याय के लिये समाज का एक विशेष सेल होता है जिसे राज्य कहते हैं। अब तक सम्पूर्ण विश्व की कोई एक राज्य व्यवस्था नहीं बनी है इसलिये पूरा विश्व कई सौ स्वतंत्र राज्य व्यवस्थाओं में बँटा हुआ है। इन सब राज्यों की व्यवस्थाओं में कुछ भिन्नता तो स्वाभाविक रूप से होती ही है किन्तु ऐसे सभी राज्यों की व्यवस्थाओं में एक समानता पाई जाती है कि राज्य सामाजिक एकता को अपनी उच्चस्थिति के लिये बाधक समझ कर लगातार ऐसी एकता के विरुद्ध प्रयत्नशील रहता है। साम्यवादी, तानाशाह या इस्लामिक देशों में ऐसा खतरा न के बराबर होता है क्योंकि ऐसे देशों में व्यक्ति को समाज का अंग नहीं माना जाता और व्यक्ति को सिर्फ नागरिक अधिकार ही दिये जाते हैं मौलिक या प्राकृतिक नहीं। किन्तु लोकतंत्र में व्यक्ति को मानव समाज का अंग मानकर उसे नागरिक अधिकार के साथ कुछ मौलिक या प्राकृतिक अधिकार भी देने की प्रथा है। इसलिये लोकतांत्रिक देशों की राज्य व्यवस्थाएँ सामाजिक एकता के विरुद्ध ज्यादा संशंकित और सतर्क रहती हैं। भारत भी ऐसा ही लोकतांत्रिक देश है।

समाज की एकजुटता के खतरे से बचाव के लिये राज्य दो तरीके से सक्रिय रहता है। 1. समाज की प्राथमिक इकाई परिवार और ग्राम या वार्ड को हमेशा कमजोर करते जाना 2. समाज को किसी एक या एक से

अधिक आधारों पर वर्ग निर्माण, वर्ग विच्छेद तथा वर्ग संघर्ष की दिशा में लगातार प्रोत्साहित करना। पूरा विश्व लगातार दोनों दिशाओं में सक्रिय रहता है किन्तु भारतीय इस दिशा में बहुत अधिक सक्रिय है। दुनिया के किसी भी अन्य देश से अधिक। यहाँ समाज व्यवस्था की प्राथमिक इकाई परिवार और गांव को व्यवस्था में शामिल ही नहीं किया गया। भारतीय संविधान में न कहीं परिवार व्यवस्था का उल्लेख किया गया है न ही ग्राम व्यवस्था का। ये दोनों शब्द ही संविधान में शामिल नहीं हैं। इसके विपरीत समाज को तोड़ने के उद्देश्य से हर बात राज्य व्यवस्था में शामिल रहती है। पूरी दुनिया में चार प्रकार की शासन व्यवस्थाएँ पाई जाती हैं

1. पश्चिम का लोकतंत्र जिसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है तथा राज्य धर्म या समाज गौण
2. साम्यवाद जिसमें राज्य सर्वाधिक शक्ति सम्पन्न होता है तथा व्यक्ति समाज गौण
3. इस्लाम का धर्म तंत्र जिसमें धर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है तथा व्यक्ति समाज गौण
4. वैदिक काल की समाज व्यवस्था जिसमें समाज सर्वशक्तिमान था तथा राज्य व्यक्ति समाज गौण।

गुलामी काल के बाद भारत का जो संविधान बना उसमें धर्म राज्य तथा व्यक्ति को तो भिन्न भिन्न स्वरूपों में शामिल किया गया किन्तु समाज के प्रमुख अंग परिवार व्यवस्था गांव व्यवस्था को बिल्कुल दूर कर दिया गया। भारतीय संविधान ने समाज को तोड़कर रखने के आठ आधारों को इस प्रकार संविधान का भाग बना दिया कि ये आठ आधार वर्ग निर्माण वर्ग विच्छेद और वर्ग संघर्ष की पृष्ठ भूमि तैयार करते रहे। ये आठ आधार हैं

1 धर्म 2 जाति 3 भाषा 4 श्रेष्ठियता 5 लिंग 6 उम्र 7 गरीब अमीर 8 उत्पादक उपभोक्ता। भारत का प्रत्येक राजनैतिक दल आठों आधारों पर वर्ग संघर्ष का ताना बाना बुनते रहता है भारत की तो आज यह स्थिति हो गई है कि यहाँ अनेक वर्ग ही स्वयंको समाज धोषित करने लगे हैं। वर्ग संघर्ष ही इनकी सामाजिक एकता मान ली जाती है। ऐसी वर्ग विभाजन की स्थिति भारत में निरंतर बढ़ती जा रही है।

6. निष्प्रभावी राज्य व्यवस्था-समाज विरोधी तत्वों से समाज की सुरक्षा के लिये जो व्यवस्था बनाई जाती है उसे राज्य कहते हैं। राज्य का दायित्व होता है कि वह समाज को उसकी स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी दे। राज्य यदि ऐसा न कर सके तो यह उसकी विफलता मानी जाती है।

राज्य का कर्तव्य है कि वह अपना नियंत्रण समाज विरोधी तत्वों तक ही सीमित करे और समाज की स्वतंत्रता पर कोई भारी अंकुश तब तक न लगावे जब तक ऐसा करना अनिवार्य न हो जावे। यदि राज्य ऐसी अनिवार्य स्थिति के न होते हुए भी समाज की स्वाभाविक स्वतंत्रता पर कोई अंकुश लगाता है तो यह राज्य की उच्छ्रंखलता मानी जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि समाजविरोधी तत्वों पर राज्य का और राज्य पर समाज का नियंत्रण होना चाहिये। हम भारत में समाज राज्य तथा समाज विरोधी के वास्तविक संतुलन की

समीक्षा करे। भारत में सम्पूर्णसमाज अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। सभी प्रकार के अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे तो सम्पूर्ण विश्व में ही ऐसी स्थिति हो गई है किन्तु भारत में तो हिंसा आतंक मिलावट बलात्कार आम बात बन गये हैं। समाज विरोधीतत्वों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है इसके ठीक विपरीत राज्य पर समाज का अंकुश रहा ही नहीं। वोट देने का अधिकार छोड़कर बेश सारों अधिकार राज्य ने अपने पास समेट लिये हैं। रोज नये नये कानून बन रहे हैं। समाज लगभग गुलाम हो गया है। जिस राज्य को समाज के नियंत्रण में रहना चाहिये था उस पर समाज का कोई नियंत्रण नहीं है। इसके विपरीत जिन समाज विरोधी तत्वों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिये था ऐसे ही समाज विरोधी तत्वों का ही राज्य व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित हो गया है।

7. मानव स्वभाव ताप वृद्धि-सम्पूर्ण विश्व के मानव स्वभाव में हिंसा के प्रति समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। यह मानव स्वभाव ताप वृद्धि लगभग सम्पूर्ण विश्व में एक समान ही बढ़ रही है। यदि पचास वर्ष पूर्व यह ताप वृद्धि एक प्रतिशत प्रति दस वर्ष मान ली जावे तो बीस वर्ष पूर्व यह वृद्धि डेढ़ प्रतिशत की हो गई है और आज यह वृद्धि दो प्रतिशत प्रति दस वर्ष कह सकते हैं।

हमारे सभी महापुरुष षान्ति का उपदेश देते रहे हैं। बुद्ध और महावीर ने तो अहिंसा को सिद्धान्त ही धोषित कर रखा था। वर्तमान काल में गांधी जी ने भी अहिंसा के प्रचार में पूरी शक्ति लगाई। आज बुद्ध महावीर और गांधी के भारत में अशान्ति और हिंसा का वातावरण देखने ही बनता है। गांधी की जन्म भूमि गुजरात और कर्मभूमि महाराष्ट्र में अहिंसा लगातार कमजोर हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में हिंसा के प्रति विश्वास बढ़ा है। आमतौर पर एक कहावत दुहराई जाती है कि पहले आक्रमण विजय की सफल कुंजी होती है।

हिंसा क्यों बढ़ रही है? मानव स्वभाव क्यों बदल रहा है? इन बातों पर हम अलग से विचार मंथन करेंगे किन्तु यह बात निर्विवाद है कि मानव स्वभाव हिंसा की दिशा में बदल रहा है। अभी दुनिया भर के समाजशास्त्री पर्यावरणीय ताप वृद्धि की चिन्ता के लिये दोहा में बैठे थे और लम्बा विचार मंथन किये। पर्यावरणीय ताप वृद्धि का दुष्परिणाम आने में जितना समय लगेगा उसकी अपेक्षा बहुत कम समय में ही मानव स्वभाव ताप वृद्धि के दुष्परिणामों का खतरा मंडरा रहा है किन्तु आश्चर्य है कि इस समस्या पर गंभीर विचार मंथन के लिये कोई सम्मेलन नहीं हो रहा। इस स्वभाव परिवर्तन के परिणाम स्वरूप तो भाई भाई के बीच भी आक्रोश और हिंसा का वातावरण बढ़ता जा रहा है किन्तु अहिंसा और षान्ति के असफल नारों के अतिरिक्त इस दिशा में चिन्तन या प्रयत्न लगभग शून्य ही है। इसके विपरीत समाज को दो विपरीत दिशाओं में संगठित करने का प्रयत्न लगातार जारी है जिसमें से एक है अहिंसा के नाम पर कायरता का प्रचार। दुर्भाग्य से यह प्रचार राज्य व्यवस्था को भी न्यूनतम हिंसा का पाठ पढ़ाकर उसे कमजोर कर रहा है और ऐसे कायर या ना समझ लोग अपनी अहिंसा के समर्थन में गांधी तक के नाम का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर है संघर्ष के नाम पर सामाजिक टकराव को

प्रोत्साहन । दुर्भाग्य से यह प्रचार राज्य व्यवस्था के विरुद्ध भी समाज को हिंसा का पाठ पढाकर अपनी ही ताकत को कमजोर कर रहा है। ऐसे हिंसा के समर्थक लोग स्वार्थ वश या ना समझी मे सुभाश और भगतसिंह तक के नाम का उपयोग करते रहते है। विल्कुल साफ दिखता है कि राज्य को न्यूनतम बलप्रयोग के स्थान पर संतुलित बल प्रयोग का मार्ग अपनाना चाहिये तथा लोकतंत्र मे सामाजिक हिंसा या बल प्रयोग का कोई स्थान होता ही नहीं। दुख है कि दो विपरीत विचार समाज मे हिंसा को प्रोत्साहित करते जा रहे है।

8. मानव स्वभाव स्वार्थ वृद्धि- जिसतरह मानव स्वभाव मे आक्रोश और हिंसा का विस्तार हो रहा है उसी तरह मानव स्वभाव मे स्वार्थ की मात्रा भी बढ़ती ही जा रही है । सभी महापुरुषो के त्याग के उपदेश और प्रवचन निष्प्रभावी हो रहे है और मानव स्वभाव स्वार्थ प्रधान होता जा रहा है। मानव स्वभाव मे स्वार्थ क्यो बढ रहा है और उसका समाधान क्या है यह समाज के सोचने का पृथक विशय है किन्तु स्वार्थ बढ रहा है यह निर्विवाद सत्य है। स्वार्थ वृद्धि ने सारे पारिवारिक समीकरण भी बिगाड दिये है और सामाजिक समीकरण भी । पति पत्नी ,पिता पुत्र, भाई भाई मित्र मित्र के रिश्ते कलंकित हो रहे है । आपसी अविश्वास बढ रहा है हर मामले मे स्वार्थ प्रधान व्यक्ति आगे बढ रहा है और निस्वार्थ पीछे जा रहा है। सम्पूर्ण मानव समाज के स्वभाव मे औसत स्वार्थ वृद्धि का प्रतिशत उसी तरह लगातारबढ रहा है जिस तरह हिंसा की मनेवृत्ति बढ रही है।

9. धर्म और विज्ञान के बीच बढ़ती दूरी-धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। विज्ञान का आधार होता है तर्क और अनुसंधान जबकि धर्म का आधार होता है श्रद्धा और विश्वास। विज्ञान निष्कर्ष निकालता है और धर्म समाज तक पहुँचाता है। विज्ञान बुद्धि प्रधान कार्य है और धर्म भावना प्रधान आचरण । विज्ञान लंगडा है और धर्म अंधा। इसीलिये दोनो को एक दूसरे का पूरक तथा सहयोगी माना जाता है।

वर्तमान समय मे धर्म और विज्ञान के बीच दूरी बढने लगी । विज्ञान आवश्यकता से अधिक भौतिकवाद की दिशा मे जाता दिख रहा है और धर्म आवश्यकता से अधिक रूढिवादी अंधविश्वास की राह पर। धार्मिक सगठन तर्क को अनावश्यक सिद्ध करने मे जी जान से जुटे है और वैज्ञानिक धार्मिक आस्थाओ पर चोट करने मे षक्ति लगा रहे है। कुछ असत्य धारणाए यदि धातक नहीं है तो उसके पीछे पडने की जरूरत ही क्या है।

धर्म और विज्ञान के बीच बढ़ती दूरी सम्पूर्ण समाज मे भ्रम पैदा कर रही है । ऐसा भ्रम बहुत नुकसान कर रहा है । प्रकृति के अनसुलझे रहस्यो को असत्य सिद्ध करना कोई बुद्धिमानि का काम नहीं । किन्तु विज्ञान ऐसा कर रहा है। दूसरी ओर आस्था पर टिकी जो अवैज्ञानिक धारणाये असत्य या अनावश्यक प्रमाणित हो चुकी है उन्हे जबरदस्ती भावनात्मक प्रचार द्वारा सत्य सिद्ध करना धातक ही है। धर्म लगातार ऐसा कर रहा है।

उपरोक्त नौ आधारों पर हम कहने की स्थिति में है कि समाज संकट में है। यदि उपरोक्त नौ में से कोई एक भी लक्षण दिखने लगे तो वह सम्पूर्ण समाज को अव्यवस्थित तथा बीमार करने के लिये पर्याप्त है। ऐसा लक्षण किसी गंभीर बीमारी का लक्षण मात्र ही न होकर बीमारी के विस्तार में भी सहायक हो रहा है। किन्तु यदि हम ठीक से आकलन करें तो वर्तमान समय में तो सभी नौ के नौ लक्षण समाज में उपस्थित भी हैं और बढ़ भी रहे हैं। इसीलिये वर्तमान समय को आपात्काल सरीखा मान कर विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है।

संकट विश्वव्यापी है। समाधान कठिन है। यदि गंभीरता से विचार करें तो समस्याएं जितनी व्यापक और प्रभाव वाली हैं उनके समक्ष हमारी शक्ति बहुत कम है किन्तु दूसरी ओर यह बात भी सच है कि समाधान करना ही होगा और इस समाधान में जितना विलम्ब होगा समस्या उतनी ही बढ़ती जायगी। इसलिये हमें इस समस्या का कोई ऐसा प्रतीकात्मक समाधान करना होगा जिसमें संगठन बनाने की आवश्यकता न हो प्रचार की भी आवश्यकता न हो, किसी व्यक्ति विशेष की विशेष पहचान भी न बनानी पड़े और लोगों के बीच किसी प्रकार की विशेष सक्रियता की भी आवश्यकता न हो। धर्म समाज सेवा या राजनीति का चोला पहने कौन व्यक्ति हमारे बीच गुमराह कर रहा है ऐसी कोई पहचान जब तक नहीं होती तब तक उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिये जीवन भर के षोध और प्रयोगों के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि स्वतंत्र विचार मंथन ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है। इस के तीन शब्द हैं 1 स्वतंत्र 2 विचार 3 मंथन। इन तीनों शब्दों को जोड़कर स्वतंत्र विचार मंथन शब्द बना है इस विधि में स्वतंत्र शब्द का आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति एक इकाई होगा। वह स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक निष्कर्ष निकालेगा। किसी भी रूप में सामूहिक निर्णय या निष्कर्ष नहीं निकलेगा। क्योंकि यदि सामूहिक निष्कर्ष निकालने की परंपरा रही तो अन्तिम निष्कर्ष वही निकलेगा जो नेता, पूँजीपति, धूर्त, या बड़े अपराधी चाहेंगे। इसलिये विचार मंथन में निष्कर्ष व्यक्तिगत ही निकलना चाहिये। ऐसे निष्कर्ष निकालने के बाद कोई कार्यक्रम करना ही तब योजना सामूहिक बन सकती है। दूसरा शब्द है विचार। विचार शब्द का अर्थ है कि इस विचार मंथन के बाद या पूर्व में किसी निष्कर्ष के आधार पर तत्काल कोई कार्य नहीं होगा। इसमें सिर्फ विचार ही होगा। चूँकि इसमें कोई सामूहिक निष्कर्ष नहीं निकालना है और न ही कोई सामूहिक योजना बननी है इसलिये क्रिया तो वैसे भी इसमें शामिल नहीं फिर भी योजना या कार्यक्रम को विचार से दूर रखने के लिये विशेष सतर्कता रखनी होगी। तीसरा शब्द है मंथन। इस शब्द का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि निष्कर्ष निकालने के लिये प्रवचन, भाषण, शिक्षा, उपदेश या अन्य किसी विधि का उपयोग नहीं होगा। सिर्फ विचारों का मंथन ही पर्याप्त है। इस तरह इस विधि में अकेले या अन्य लोगों के साथ बैठकर किसी असम्बद्ध विषय पर स्वतंत्र विचार मंथन करना है। यदि मंथन करने वाले एक से अधिक हों तो भी कोई निष्कर्ष या प्रस्ताव पारित नहीं करना है।

यह एक अत्यंत ही साधारण दिखने वाली प्रक्रिया है । यह प्रयोग मासिक भी हो सकता है और साप्ताहिक भी या दैनिक भी । इस प्रयोग का परिणाम अप्रत्यक्ष और अदृश्य होता है किन्तु इसके प्रचार का प्रभाव तो अपने आप ही कम होने लगता है क्योंकि विचार मंथन और विचार प्रचार एक जगह पर रह ही नहीं सकते। विचार मंथन गुरु शिष्य या संचालक संचालित के भेद को भी कम करता है क्योंकि सब लोग समान स्तर पर बैठकर चर्चा करेंगे। इससे समाज सेवा का व्यवसायीकरण भी रुकेगा ही । क्योंकि प्रचार से भी यह क्रिया प्रक्रिया बिल्कुल दूर है और योजना से भी । भौतिक पहचान का इसमें कोई संकट नहीं है । नकली लोग ऐसे मंथन से या तो दूर रहेंगे या आकर फंस जायेंगे। नकली लोग अन्त में निश्कर्ष भी निकालेंगे और प्रस्ताव भी पारित करेंगे क्योंकि यही सक्रियता उन्हें समाज में सम्मान जनक स्थापना में सहायक होती है। दोनों काम इसमें हैं नहीं। निश्कर्ष निकालना नहीं है। उनकी स्थापना होनी नहीं है । समाज को कोई धोखा देने का अवसर ही नहीं है तो वे ऐसा बेकार का भुसा क्यों कूटे जिसमें से कोई दाना निकलने की गुंजाइश ही नहीं। इस स्वतंत्र विचार मंथन से सर्वाधिक लाभ होता है वर्ग निर्माण , वर्ग, विद्वेष और वर्ग संघर्ष के विरुद्ध। जब समाज के सब प्रकार के लोग बिना भेद भाव के निरुद्धेश्य एक साथ बैठकर विचार मंथन करते हैं तो जाति धर्म भाषा क्षेत्रीयता के टकरावपूर्ण बंधन अपने आप ढीले होने लगते हैं। इससे राज्य और समाज के बीच की दूरी घटती है। राज्य की सार्वभौमिक शक्ति को मौन चुनौती होती है कई मामलों में यह शक्ति राज्य के अच्छे कार्यों में सहायक भी हो सकती है और कई गलत कार्यों में भयोत्पादक भी। इस विचार मंथन प्रक्रिया से हिंसा तथा स्वार्थ की प्रवृत्ति का भी अपने आप क्षमन होता है। साथ ही यह योजना धर्म और विज्ञान के बीच की बढ़ती दूरी भी कम कर सकती है । मुझे तो लगता है कि इन सभी समस्याओं का यह एकमात्र अच्छा समाधान है क्योंकि यह विध्वंसक परिणामों पर नियंत्रण के साथ साथ सार्थक परिणाम भी देता है । इससे प्रत्येक व्यक्ति का विवेक जागृत होता है तथा आत्मस्वाभिमान भी मजबूत होता है और इन दोनों का जागरण व्यक्ति के चरित्र पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है।

मैं जानता हूँ कि समस्याओं की विकरालता को देखते हुए इस समाधान की सार्थकता पर विश्वास नहीं होता है। सच भी है कि क्या विशालकाय हाथी और चींटी के बीच कोई तुलना संभव है। ऐसे तर्क में तब तक दम है जब तक हम इन विशालकाय समस्याओं से प्रत्यक्ष टकराव की योजना बनाते हैं। हम कभी भी टकराने की तो पहल कर ही नहीं रहे हम तो सिर्फ निरुद्धेश्य स्वतंत्र विचार मंथन कर रहे हैं जिसमें कोई टकराव शून्य है और परिणाम प्रभावकारी है। अपने सत्तर वर्षों के जीवन में पचपन वर्ष मैंने विचार मंथन में बिताये। प्रारंभिक दस पंद्रह वर्ष तो विचार मंथन अव्यवस्थित रहा किन्तु पिछले करीब चालीस वर्षों से यह प्रक्रिया रामानुजगंज शहर में व्यवस्थित चल रही है। इस प्रक्रिया से कोई लाभ होगा ऐसा विश्वास वहाँ के आम लोगों को कभी नहीं रहा। किन्तु रामानुजगंज शहर को चमत्कारिक लाभ हुआ है यह वहाँ के आम लोग महसूस भी करते हैं और व्यक्त भी करते हैं। फर्क सिर्फ यही है कि वहाँ के लोग उस शहर में दिख रहे वैचारिक परिवर्तन का

क्षेय मुझे देते हैं जबकि सच्चाई यह है कि इन सबका क्षेय इस स्वतंत्र विचार मंथन प्रक्रिया को है मुझे नहीं। सच्चाई तो इससे भी आगे बढ़कर यह है कि आज तक मुझमें जो विलक्षण प्रतिभा का विकास हुआ है उस का भी अधिकांश श्रेय इस विचार मंथन प्रक्रिया को ही है। मेरा तो सिर्फ इतना ही योगदान है कि मैं इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने का माध्यम बना और रामानुजगज के लोग न समझते हुये भी आपसी सम्बन्धों के आधार पर इससे जुड़े रहे। चालीस पचास वर्षों के निरर्थक विचार मंथन ने जो प्रयोग करके सफलता पाई है वह दूसरों को आश्वस्त और विश्वस्त करने के लिये पर्याप्त होनी चाहिये। इस विचार मंथन के माध्यम से मैं आपको मानसिक व्यायाम की सलाह दे रहा हूँ। आज तक दुनिया में शारीरिक व्यायाम के मार्ग बताये गये हैं। बाबा रामदेव जी ने तो इस दिशा में ऋण्टि ही की है। इसका लाभ भी हुआ ही है। किन्तु अब तक मानसिक व्यायाम की कोई सरल विधि विकसित नहीं हो पाई है। बिना मानसिक व्यायामके षण्टि संभव नहीं है क्योंकि दूसरों द्वारा दिये गये प्रवचन उपदेश समाधान कम और विकृति ज्यादा पैदा कर रहे हैं। इसलिये वर्तमान परिस्थितियों में यही मार्ग दिखता है।

इस व्यायाम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपके व्यावहारिक जीवन में कोई अन्य आपको आसानी से न धोखा दे पायेगा न ही ठग पायेगा। आपमें स्वयं में नीरक्षीर विवेक की षक्ति विकसित होगी। दूसरी बात यह है कि आपका स्वयं का आत्मस्वाभिमान भी जागेगा और स्वावलम्बन भी। और ये दोनों आपको मानसिक सेतोश और षण्टि देगे।

इस व्यायाम की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इससे होने वाले लाभ का अनुभव स्वयं को या तो कभी नहीं होता या बहुत बाद में होता है किन्तु यह बिल्कुल निश्चित है कि आपके पडोसी मित्र या परिवार वाले आपके व्यवहार तथा मानसिक विकास में गुणात्मक परिवर्तन अनुभव करेगे। आपका मन ऐसे व्यायाम की ओर आकर्षित भले ही नहीं होगा किन्तु इस मानसिक व्यायाम से बहुत लाभ होना है। इसलिये आपको यह व्यायाम करना ही चाहिये।

पाक्षिक पत्रिका ज्ञानतत्व आपको ऐसे मानसिक व्यायाम में आंशिक सहायता कर सकती है। इसका पूर्वार्ध मानसिक व्यायाम केलिये समर्पित रहता है। आप स्वयं, परिवार के लोगो तथा मित्रो में इसके पढने की आदत डालिये। किन्तु ज्ञानतत्व आपके मानसिक व्यायाम में सहायक ही हो सकता है मौलिक नहीं मौलिक तो आपका स्वयं का व्यायाम ही होगा।

मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि चरित्र निर्माण की अन्य सारी प्रक्रियाएँ या शिक्षाये या तो असफल होगी या धातक क्योंकि जब तक चरित्र निर्माण का उपदेश देने वाले का स्वयं का चरित्र ही ठीक नहीं है तब तक सब बेकार है और ऐसा चरित्र कितना ढेगी है पेशेवर है यही पता नहीं। इसलिये अब सामाजिक आपात्काल समझ कर स्वावलम्बी प्रक्रिया की आवश्यकता है। आशा है कि ऐसे प्रयोग का निश्चित लाभ हमें होगा और यदि इसका लाभ सम्पूर्ण समाज को न भी मिले तो स्वयं को व्यक्तिगत स्तर पर तो होना निश्चित ही है।

KASHMIRIA